न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी सुश्री जूही भार्गव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 टी0आई0 –18/2018 तारीख रजू – 24.04.2018

उनवान

1.जोरमल पुत्र सुरज्ञान
2.भगवानसिंह पुत्र सुरज्ञान
3.हरभजी पुत्री सुरज्ञान
4.रामहरि पुत्री सुरज्ञान
समस्त जाति गुर्जर निवासी नयागाव तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0)

–प्रार्थीगण

विरूद्ध

1.गंगासिंह पुत्र जयसिंह
2.लच्छीराम पुत्र गंगासिंह
3.सवाराम पुत्र गंगासिंह
4.नरेश पुत्र गंगासिंह
5.धर्मेन्द्र पुत्र हंस
6.रामवीर पुत्र हंस
7.राकेश पुत्र लच्छी
8.जगवीर उर्फ कल्ला पुत्र लच्छी
समस्त जाति गुर्जर निवासी नयागाव तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0)

–अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति– राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट टोडाभीम – पक्ष प्रार्थीगण

उपस्थिति – श्री सुरेशचंद शर्मा एडवोकेट –पक्ष अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक– 29.10.2018

प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र मे कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 810 रकवा 0.14 एआर ग्राम नयागाव तहसील टोडाभीम मे स्थित है। यह भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिससे अप्रार्थीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। हाल रेंवन्यू रिकार्ड जमाबंदी मे इस भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण का खास भाई लखनसिंह आर्मी मे है, उसकी भूमि को हम ही काश्त व देखभाल करते है। उक्त भूमि मे प्रार्थीगण का कुछ भूमि मे रिहायश हेतु मकान बना हुआ है। प्रार्थीगण की उक्त खसरा नं0 810 के अंदर प्रार्थीगण के मकान के पास मे अप्रार्थीगण ने अवैध रूप से अतिक्रमण करने की नियत से दिनांक 18.04.2018 को लकडी व गोबर का खाद डाल दिया है, प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से मना किया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण जोरमल व उनके परिवार के सदस्यो के साथ गंभीर मारपीट की है। प्रार्थीगण ने इनको काफी समझाया कि आप हमारी इस भूमि पर गोबर व लकडी मत डालो इससे गंदगी फैलती है, हमे परेशानी होती है लेकिन अप्रार्थीगण हटाने को तैयार नही हुये बल्कि अप्रार्थीगण ने हम प्रार्थीगण के साथ मारपीट की। चूकि अप्रार्थीगण की इस गलत हरकत से प्रार्थीगण के सामने गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। प्रार्थीगण को आवागमन मे परेशानी हो रही है तथा गंदगी से बीमारी होने का डर है इसलिये अप्रार्थीगण द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण को तुरंत ही जरिये मेन्डेटरी इंजेक्शन से हटाया जाना आवश्यक व न्यायहित मे है। प्रार्थीगण का प्राइमाफेसी केस साबित है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है, यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नही है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है तथा रिलिफ चाही है कि अप्रार्थीगण को आदेश दिया जावे कि वें प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की

उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

रौली 1-19

पेश द्वारा केया लना रही ज़ब्द

Scanned by CamScanner

भूमि खसरा नम्बर 810 रकवा 0.14 एआर ग्राम नयागाव तहसील टोडाभीम मे अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से डाला गया गोबर खाद व लकडी को तुरंत हटा ले, यदि अप्रार्थीगण स्वंय नही हटावे तो थानाधिकारी बालघाट व उपतहसीलदार उपतहसील बालघाट स्वंय मौके पर जाकर उक्त अतिक्रमण को हटवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन मे नकल जमाबंदी संवत 2070 से 2073 दिनांक 24.04.2018 प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अप्रार्थीगण सुनवाई हेतु जारी किये गये। अप्रार्थीगण ने जबाव पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नं0 810 रकवा 0.14 हेक्टयर आधे हिस्से पर सायलान का कब्जा काश्त नही है बल्कि उक्त आराजी आधे हिस्से पर गैरसायलान काबिज है। सायलान के आधे हिस्से मे सायलान द्वारा मकानियत का निर्माण कर रखा है, शेष हिस्सा गैरसायलान के हिस्सा मे पूर्वजो के समय से आया हुआ है, गैरसायलान के द्वारा पशुओ का गोबर, ईधन, बरीता रखने के काम मे पचासो बर्षो से लेते चले आ रहे है और आज भी उसका उपयोग उपभोग कर रहे है तथा विशेष जबाव मे कथन किया है कि सायलान के सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा काश्त नही है। कब्जे के अभाव मे दावा चलने योग्य नही है। उक्त आराजी आवादी के काम आ रही है इसलिये न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है तथा सायलान का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेघाज्ञा खारिज किया जावे।

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेघाज्ञा इन्मेडेटरी फॉर्म खिलाफ गैरसायलान स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि मे अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से डाला गया गोबर, खाद, लकडी को तुरंत हटाया जावे यदि अप्रार्थीगण स्वंय नही हटावे तो थानाधिकारी बालघाट व उपतहसीलदार उपतहसील बालघाट स्वंय मौके पर जाकर उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने के आदेश प्रदान किये जाये। वकील अप्रार्थीगण ने अआपने जबाव प्रार्थानापत्र मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्षो के वकीलो की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया। भूमि खसरा नम्बर 810 रकवा 0.14 एआर ग्राम नयागाव तहसील टोडाभीम की खातेदारी सायलान के नाम दर्ज है, गैरसायलान के नाम खातेदारी दर्ज नही है। मामला अप्रार्थीगण द्वारा डाला गया गोबर, खाद, लकडी को हटाने के संबंध मे है, किसी भी प्रकार के पक्के निर्माण को हटाने बावत नही है। सायलान का प्रइमाफेसी केस साबित है। सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष मे है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को आदेश दिये जाते है कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नं0 खसरा नम्बर 810 रकवा 0.14 एआर ग्राम नयागाव तहसील टोडाभीम मे अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से डाला गया गोबर, खाद व लकडी को तुरंत हटा ले।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री जूही भार्गव)
उप जिला कलक्टर
उपजिला कलक्टर टोडाभीम
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner